

प्रेषक,

अजीत कुमार,

विशेष सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक- 17 दिसम्बर, 2021

विषय:-कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांग हुये दिव्यांगजनों के कुष्ठावस्था भरण-पोषण अनुदान (कुष्ठावस्था पेंशन) की दर में वृद्धि।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर कार्यालय ज्ञाप संख्या-89/2015/1040/65-2-2015-52(विविध)/ 2015 दिनांक 17 अगस्त, 2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा संचालित कुष्ठावस्था भरण-पोषण अनुदान (कुष्ठावस्था पेंशन) योजना की मासिक अनुदान राशि रू0 2500/- प्रतिमाह को बढ़ाकर रू0 3000/- प्रतिमाह किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त कुष्ठावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत बढ़ी हुई पेंशन की दर दिनांक 01.12.2021 से प्रभावी होगी तथा योजना की अन्य शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

भवदीय,

अजीत कुमार

विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) प्रधान महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम/आडिट प्रथम, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- (2) राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (3) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- (4) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (5) निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- (6) समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (7) समस्त उपनिदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग/समाज कल्याण विभाग/पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश।
- (8) समस्त जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (9) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2/समाज कल्याण अनुभाग-2।
- (10) दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-1/3।
- (11) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अजीत कुमार
विशेष सचिव।